शंभूलाल / जगदीश
वि० नं: 503/2018

दिनांक	आज्ञा-पत्र
10/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस दावा कुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/23 को पेश हो।
18/7/23	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाकर आराजी ख.नं. 105 लगायत 109 कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 है० मेंबे वादीगण को 1.30 है० हिस्से का खातेदार निर्धारण उद्घोषित किया जाता है कि वादी सं० 1/1 को 1/5 हिस्से का, वादी सं 1/2/1 ता 1/2/5 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का वादी सं. 1/3 को 1/5 हिस्से का, वादी सं. 1/4/1 ता 1/4/4 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का तथा वादी सं. 1/5 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के सुपुर्द हो। दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय दि. 18/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।